भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
7वां तल, मयूर भवन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

परिपत्र

सं. आई.बी.बी.आई./एल.आई.क्यू./73/2024 **28 जून, 2024**

सेवा में,
समस्त रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक
समस्त मान्यताप्राप्त दिवाला व्यावसायिक संस्थाएं, और
समस्त रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक एजेंसी
(रजिस्ट्रीकृत ईमेल पतों पर मेल द्वारा और आई.बी.बी.आई. की वैबसाइट पर)

महोदय/महोदया

विषयः दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन समापन प्रक्रियाओं को मानिटर करने के लिए प्ररूप फाइल करना

प्रक्रिया के दौरान, परिसमापक हितधारकों से दावे आमंत्रित करता है, समापन संपदा का गठन करता है, हितधारक परामर्श समिति(एस.सी.सी.) के परामर्श से आस्तियों का विक्रय करने का प्रयास करता है और वसूल किए गए आगमों को संहिता की धारा 53 के अधीन उपबंधित वाटरफॉल तंत्र के अनुसार वितरित करता है ।

2. परिसमापक के रूप में कृत्य करने वाले दिवाला व्यावसायिक(आई.पी.) से भी यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि विधिक अपेक्षाओं का अनुपालन हो और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी(ए.ए.) तथा आई.बी.बी.आई. को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए । वर्तमान में, आई.पी. समापन प्रक्रिया के संबंध में ब्यौरे बोर्ड को ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, जो कि अधिक समय लेने वाला और अदक्ष माध्यम है ।

3. दिवाला व्यावसायिकों(आई.पी.) के अनुपालन भार को कम करने के लिए, आई.बी.बी.आई. द्वारा समापन प्रक्रिया के ब्यौरे लेने के लिए इलैक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर प्ररूपों का एक समूह तैयार किया गया है । ये प्ररूप, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता(आई.बी.सी.) के अधीन समापन प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये सुव्यवस्थित और पारदर्शी अभिलेखन और निर्बाध रूप से रिपोर्टिंग को सुकर बनाते हैं । इन प्ररूपों के प्रमुख फायदों के अंतर्गत निम्नलिखित हैः

- समापन प्रक्रिया की दक्षता और प्रभावकारिता में वृद्धि करना ।
- परिसमापकों को सुगम ऑनलाइन पहुंच और प्ररूप प्रस्तुत करना अनुज्ञात करना जिससे विलंब में कमी होगी और दक्षता में वृद्धि होगी ।
- गलतियों और लोपों की संभाव्यता को कम करना, अधिक सही और विश्वसनीय जानकारी सुनिश्चित करना

4. इन प्ररूपों का संक्षिप्त विवरण नीचे दी गई सारणी के अनुसार हैः

प्ररूप सं.	**समयावधि और परिधि**	**समय-सीमा**
परि.1	समापन प्रारंभ होने की तारीख से लोक उद्घोषणा तक: इसके अंतर्गत परिसमापक, कारपोरेट ऋणी(सी.डी.), परिसमापक की फीस के ब्यौरे आते हैं ।	लोक उद्घोषणा किए जाने के पश्चात् आगामी मास के 10वें दिन या उससे पूर्व ।

परि..2	लोक उद्घोषणा से प्रगति रिपोर्ट तकः इसके अंतर्गत मूल्यांकन, विक्रय, मुकदमेबाज़ी, परिवर्जनीय संव्यवहारों, हितधारक परामर्श समिति की बैठकों, प्राप्तियों और संदायों के ब्यौरे आते हैं ।	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् आगामी मास के 10वें दिन या उससे पूर्व ।
परि.3	अंतिम प्रगति रिपोर्ट से विघटन के आवेदन तकः इसके अंतर्गत अदावाकृत आगमों, विक्रय, मुकदमेबाज़ी, परिवर्जनीय संव्यवहारों, वसूली, आगमों, प्राप्तियों और संदायों के वितरण के ब्यौरे आते हैं ।(इन प्ररूपों में अपेक्षित ब्यौरे अंतिम प्रगति रिपोर्ट से अग्रनीत किए जाते हैं और इसलिए इन्हें पुनः भरने की आवश्यकता नहीं है)	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को विघटन/बन्द करने संबंधी आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात्, आगामी मास के 10वें दिन या उससे पूर्व ।
परि..4	विघटन के लिए आवेदन से विघटन के आदेश तकः इसके अंतर्गत आगमों, प्राप्तियों और संदायों के वितरण आदि के ब्यौरे आते हैं । (इन प्ररूपों में अपेक्षित ब्यौरे अंतिम प्रगति रिपोर्ट से अग्रनीत किए जाते हैं और इसलिए इन्हें पुनः भरने की आवश्यकता नहीं है)	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा कारपोरेट ऋणी के विघटन के लिए या समापन प्रक्रिया बन्द करने का आदेश पारित किए जाने के 14वें दिन या उससे पूर्व ।

5. बोर्ड द्वारा इलैक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर तैयार किए गए प्ररूपों का समूह उसकी वैबसाइट https://www,ibbi.gov.in पर होस्ट किया गया है । समापन असाइनमेंट पर कार्यवाही करने वाला दिवाला व्यावसायिक, आई.बी.बी.आई. द्वारा प्रदान किए गए सुभिन्न यूज़र्सनेम और पासवर्ड की सहायता से इस प्लेटफार्म पर जाएगा और डी.एस.सी. जोडने या ई-हस्ताक्षर करने के पश्चात् सुसंगत जानकारी और अभिलेख सहित प्ररूप अपलोड/प्रस्तुत करेगा । इसके अतिरिक्त, अभिलेख सहित पूर्ण और सही जानकारी समयबद्ध रूप से फाइल करना एकमात्र रूप से आई.पी. का उत्तरदायित्व है ।

6. यह निदेश दिया जाता है कि आई.पी. इलैक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर ही प्ररूप फाइल करेगाः

क. ऐसे सभी मामलों में, जहां समापन आदेश इस परिपत्र के जारी किए जाने की तारीख को या उसके पश्चात् पारित किया जाता है, विहित समय-सीमा के भीतर ।

ख. चालू मामलों के लिएः ऐसे मामले, जिनमें कारपोरेट ऋणी के विघटन/समापन प्रक्रिया को बन्द करने के लिए कोई आवेदन फाइल नहीं किया गया है, 30 सितम्बर, 2024 तक (मार्च.24 तिमाही के लिए) प्ररूप परि.1 और परि.2 प्ररूप फाइल करेगा ।

ग. ऐसे मामलों के लिए जिनमें कारपोरेट ऋणी के विघटन/समापन प्रक्रिया को बन्द करने के लिए आवेदन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष फाइल किया गया है, प्ररूप परि.1 और परि. 2 (प्रक्रिया की अंतिम तिमाही के लिए) और परि.3, 30 सितम्बर, 2024 तक फाइल करेगा ।

घ. ऐसे मामलों के लिए, जिनमें न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा समापन प्रक्रिया को बन्द करने या कारपोरेट ऋणी के विघटन के लिए आदेश किया गया है, प्ररूप परि.1 और परि. 2 (प्रक्रिया की अंतिम तिमाही के लिए) और परि.3 और परि.4, 30 सितम्बर, 2024 तक फाइल करेगा ।

7. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसा आई.पी., जो संहिता और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के लागू उपबंधों का अनुपालन नहीं करता हैः

(i) सुसंगत जानकारी और अभिलेख सहित प्ररूप फाइल करने में असफल रहने,

(ii) किसी प्ररूप में या उसके साथ फाइल की गई गलत या अपूर्ण जानकारी और/या अभिलेख,

के लिए दायी होगा ।

8. यह परिपत्र दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 196 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जाता है ।

भवदीय

हस्ता.

(राजेश तिवारी)

महाप्रबंधक